भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0: 8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/1010 दिनॉक: 12.06.2023

सेवा में,
अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषयः **चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3117/11–सी–FP/UP/Road/121197/2021, दिनांक 31.03.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1278/81–2–2021–800(123)/2021 दिनांक 17–08–2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी। प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। परियोजना निर्माण में मोदीनगर रेंज कार्यालय की पौधशाला, ग्रीनहट, पॉली हाउस, सिंचाई नाली, बोरिंग, दीवार एवं वृक्षारोपण आदि की क्षति हुई है। इस सम्बन्ध में इन सभी की क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि जमा करने के लिए उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति में अतिरिक्त शर्त अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के साथ उक्त शर्त को अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण को दिनांक 30.05.2023 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के समक्ष (Agenda Item 5.8 U.P.) प्रस्तुत किया गया था, क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के अनुमोदन एवं निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य शर्तें अधिरोपित की जाती हैं:–

1. The amount shall be deposited by the User Agency to compensate infrastructure of Green Hut, Poly House, Irrigation drain, Boring, Wall and affected trees of Nursery of Modinagar Range Office.
2. The User Agency and Forest Department will jointly identify potential trees that can be transplanted with technical support and guidance of Forest Department and the cost of User Agency and forest department will keep data base and monitor success/survival of such transplanted trees.
3. User Agency shall also compensate for loss of infrastructure/facility (Nursery) etc. and plantation in all the effected division.

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (विभागाध्यक्ष), उ0प्र0 वन विभाग, 17, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

14.06.2023

(डा0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}